न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 75 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. कंचन पत्नि शिवदयाल अरोडा निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।

––प्रार्थीया

बनाम

1. दलीचन्द आत्मज लालुराम कुमावत निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. प्रभु आत्मज नारायण गुजर नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता कंकु बेवा नारायण गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मुकेश आत्मज नारायण गुजर नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता कंकु बेवा नारायण गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. काना आत्मज नारायण गुजर नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता कंकु बेवा नारायण गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. शांति पुत्री नारायण गुजर नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता कंकु बेवा नारायण गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. कंकु बेवा नारायण गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. किशन आत्मज धन्ना गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. जेतु पिता धन्ना गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. केसर पिता धन्ना गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. लादी पिता धन्ना गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. लेहरी बेवा धन्ना गुजर निवासी गठीला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–22.01.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गठीला, पटवार क्षेत्र ढोसर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 675 रकबा 0.12 है0, 676 रकबा 0.12 हे0, 677 रकबा 0.14 हे0, 678 रकबा 0.14 हे0, 679 रकबा 0.16 हे0, 680 / 1 रकबा 0.1110 हे0, 681 / 3 रकबा 0.0050 हे0, 682 / 1 रकबा 0.1020 हे0 कुल किता 8 रकबा 0.8980 है0 भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 8 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम गठीला, पटवार क्षेत्र ढोसर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 675 रकबा 0.12 है0, 676 रकबा 0.12 हे0, 677 रकबा 0.14 हे0, 678 रकबा 0.14 हे0, 679 रकबा 0.16 हे0, 680 / 1 रकबा 0.1110 हे0, 681 / 3 रकबा 0.0050 हे0, 682 / 1 रकबा 0.1020 हे0 कुल किता 8 रकबा 0.8980 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

मय प्रार्थीया की अर्ज निम्न आधार पर यह प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है :-

हल्का ढोसर तहसील सहाडा